प्रभात खबर व ट्रेंड्स के दुर्गा पूजा नव उत्सव कॉन्टेस्ट में भाग लें, लाखों के इनाम जीतने का मौका

पटना. दुर्गा पूजा को ले कर सभी के मन में उत्साह रहता है. पूजा में घूमना, पंडालों की खूबसूरती को देखना सभी को पसंद है. इस बार प्रभात खबर और ट्रेंड्स द्वारा आयोजित दुर्गा पूजा नव उत्सव के अंतर्गत कॉन्टेस्ट में आप सभी भाग ले सकते हैं और जीत सकते हैं लाखों के इनाम. www.trendsnavutsav.com वेबसाइट पर जाकर या QR कोड स्कैन कर इस कॉन्टेस्ट का हिस्सा बनें.

TRENDS नव उत्सव

माय पूजा माय लुक : प्रतिभागी को अपना दुर्गा पूजा के अवसर पर तैयार होकर, एथेनिक लुक मे अपना एक फोटो शेयर करना है.

दुर्गा पूजा ऑन रील्स : प्रतिभागी को दुर्गा पूजा से संबंधित अधिकतम एक मिनट का वीडियो बना कर शेयर करना है.

नियम व शर्तें

- प्रत्येक प्रतिभागी द्वारा सिर्फ एक एंट्री मान्य होगा.
- वीडियो केवल एक मिनट का होना चाहिए.
- वीडियो का साइज 50 एमबी तक ही होना चाहिए.
- प्रतिभागी अपना नाम, पता, उम्र, शहर और प्रदेश जरूर लिखें.

प्रतिभागी इस वॉट्सएप नंबर 9304954239 पर भी अपनी एंट्री छह अक्टूबर तक भेज सकते हैं.

हिंदी दिवस पर कई जगहों पर कार्यक्रमों का किया गया आयोजन

हिंदी की प्रगति पर ही आधारित है राज्य की प्रगति : डॉ चंद्रशेखर

संवाददाता, पटना

शिक्षा मंत्री डॉ चंद्रशेखर ने कहा कि हिंदी की प्रगति और बिहार की प्रगति के बीच गहरा संबंध है. यूं कहा जायेगा कि हिंदी के विकास पर ही बिहार का विकास निर्भर करता है. बिहार के विकास से हिंदी की प्रगति संभव है. इसलिए बिहारवासियों को इस दिशा में लगातार प्रयास करना चाहिए. वह बुधवार को बिहार राज्य अभिलेख भवन में आयोजित "हिंदी दिवस -सह कवि सम्मेलन" समारोह को संबोधित कर रहे थे. शिक्षा मंत्री ने कहा कि बिहार का विकास करना है, तो समरस समाज की स्थापना करनी होगी. उन्होंने जातीय कट्टरता पर भी कड़ा प्रहार किया. कार्यक्रम में अध्यक्षीय भाषण देते हुए साहित्यकार सत्यनारायण ने कहा कि हिंदी बहुसंख्यकों की भाषा है. हिंदी बोलने वालों को चाहिए कि वह अन्य भारतीय भाषाओं को आदर दें, तभी हिंदी को भी बड़े फलक पर सम्मान मिलेगा. उन्होंने वहां उपस्थित लोगों को इसका संकल्प भी दिलाया. उन्होंने बताया कि किस तरह विभिन्न संप्रदाय और वर्ग के लोगों ने हिंदी और भारतीय भाषाओं की सेवा की है. सभी भाषाएं आदरयोग्य हैं. मंत्रिमंडल सचिवालय राजभाषा विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉ एस सिद्धार्थ ने कहा कि देश में विज्ञान, सोशल मीडिया, इंटरनेट और कंप्यूटर की भाषा हिंदी होनी चाहिए.

हिंदी दिवस पर कार्यक्रम का उद्घाटन करते शिक्षा मंत्री डॉ चंद्रशेखर.

सरकारी कार्य में सरल हिंदी का करें प्रयोग : प्रो उषा किरण खान

पटना. हिंदी दिवस पर बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण में आयोजित व्याख्यान में प्रो उषा किरण खान ने कहा कि सरकारी कार्यों में सरल और सहज हिंदी का प्रयोग करना चाहिए. हिंदी एक समावेशी भाषा है. प्रचलन में आ चुके दूसरी भाषा के शब्दों के भी इस्तेमाल से हमें गुरेज नहीं करना चाहिए. खान ने कहा कि हिंदी दिवस मनाने की जरूरत बिहार जैसे प्रांत में नहीं है. बोलियां भले हमारी अलग-अलग हैं, लेकिन हिंदी तो हमारी रग-रग में है.उत्सव के रूप में इस दिवस को मनाएं. उन्होंने कहा कि गड़बड़ी वहीं से शुरू हो जाती है, जब सारा काम हम करते अंग्रेजी में हैं और लिखना हिंदी में चाहते हैं. आजादी के 73 साल बाद भी हम लोग सरकारी या तकनीकी शब्दावली नहीं बना सके.अंग्रेजी का एक ही शब्द अलग-अलग तरीके से अलग-अलग राज्य में लिखा जाता है.अनुवाद में एकरूपता नहीं है. उन्होंने बताया कि जब वह स्नातक कर रही थीं तब कई विषयों की परीक्षा अंग्रेजी में लिखनी होती थी. इसका हम छात्रों ने बहुत विरोध किया. पटना में आकर आत्मदाह करने पर छात्र उतारू थे. उसके बाद हिंदी को मान्यता मिली. मौके पर प्राधिकरण के उपाध्यक्ष डॉ उदयकांत मिश्र और सदस्य पीएन राय सहित अन्य अधिकारी व कर्मी मौजूद थे.

भारतीय जीवन बीमा निगम में मना हिंदी दिवस

पटना. जीवन प्रकाश स्थित भारतीय जीवन बीमा निगम (मंडल कार्यालय प्रथम) में हिंदी दिवस सह पखवारा का उद्घाटन करते हुए वरिष्ठ मंडल प्रबंधक कुल भूषण शर्मा ने किया. उन्होंने हिंदी की महता पर प्रकाश डालते हुए कहा कि हमारा मंडल राजभाषा हिंदी के माध्यम से उत्कृष्ट व्यवसाय और ग्राहकों की सेवा करते हुए प्रगति के पथ पर अग्रसर है.

वैश्वीकरण व डिजिटल क्षेत्र में हिंदी लोकप्रिय

पटना. प्रमंडलीय आयुक्त कुमार रवि ने कहा कि वैश्वीकरण और डिजिटल क्षेत्र में हिंदी काफी प्रचलित व लोकप्रिय है. आधुनिक तकनीकों का प्रयोग हिंदी के प्रसार एवं विकास में उत्प्रेरक की भूमिका निभाता है. बुधवार को प्रमंडलीय राजभाषा कार्यालय के तत्वावधान में आयुक्त कार्यालय में हिंदी दिवस समारोह में आयुक्त ने विचारों को रखा. हिंदी भवन स्थित पटना समाहरणालय में भी जिलाधिकारी डॉ चंद्रशेखर सिंह की अध्यक्षता में हिंदी दिवस का आयोजन किया गया. इस दौरान जिलाधिकारी ने हिंदी भाषा के संरक्षण व संवर्धन के लिए प्रतिबद्ध रहने की आवश्यकता पर बल दिया.

हिंदी को राष्ट्रभाषा का दर्जा मिलना चाहिए

पटना. एमएसएमइ मंत्रालय की ओर से बुधवार को हिंदी दिवस सह हिंदी पखवारा का आयोजन किया गया. संस्थान केंद्र के सहायक निदेशक संजीव आजाद ने अतिथिओं का स्वागत किया. निदेशक प्रदीप कुमार ने कहा कि हिंदी को राष्ट्रभाषा का दर्जा मिलना चाहिए, क्योंकि 51% लोग हिंदी भाषा का इस्तेमाल करते हैं.

राजभाषा पखवारा पर लगी पुस्तक प्रदर्शनी

पटना. कर्मचारी राज्य बीमा निगम के स्थित क्षेत्रीय कार्यालय में बुधवार को क्षेत्रीय निदेशक सत्यजीत कुमार द्वारा पंचदीप प्रज्वलित कर राजभाषा पखवारा का उद्घाटन किया गया. इस मौके पर एक पुस्तक प्रदर्शनी का भी आयोजन किया गया. मौके पर निगम के क्षेत्रीय निदेशक सत्यजीत कुमार ने हिंदी की उपयोगिता पर प्रकाश डालते हुए इसे राजभाषा से राष्ट्रभाषा बनाये जाने के लिए कोशिश करने का आह्वान किया.

हिंदी में अधिक से अधिक करें काम : अनुपम शर्मा

पटना. पूर्व मध्य रेल के महाप्रबंधक अनुपम शर्मा ने राजभाषा पखवारा का शुभारंभ किया. इस अवसर पर उन्होंने अधिकारियों व कर्मचारियों से हिंदी में अधिक से अधिक काम करने की बात कही. उन्होंने राजभाषा विभाग द्वारा प्रकाशित 'वैशाली' पत्रिका के नवीन अंक का लोकार्पण किया. 'वर्तमान दौर में हिंदी भाषा के समक्ष चुनौतियां' विषय पर आयोजित विचार-गोष्ठी का भी आयोजन किया गया.

महाकवि केदार नाथ मिश्र प्रभात पर डाक विभाग ने जारी किया स्पेशल कवर

पटना. डाक विभाग (बिहार सर्किल) ने बुधवार को हिंदी दिवस पर आजादी के गुमनाम नायक के रूप में महाकवि केदार नाथ मिश्र प्रभात पर एक स्पेशल कवर जारी किया. इसका विमोचन पटना जीपीओ के सभागार में डाक विभाग के चीफ पोस्ट मास्टर जनरल किशन कुमार शर्मा, पोस्ट मास्टर जनरल (पूर्व प्रक्षेत्र) मनोज कुमार, डाक निदेशक सेवाएं (पूर्वी प्रक्षेत्र) पवन कुमार और जीपीओ के मुख्य डाकपाल रंजय कुमार सिंह ने संयुक्त रूप से किया. मौके पर चीफ पोस्टमास्टर जनरल किशन कुमार शर्मा ने बताया कि युवा क्रांतिकारी कवि प्रभात ने 42 साल तक देशभक्ति और क्रांतिकारी रचनाओं से देश के युवाओं को जागृत किया.

बिहार सरकार

बिहार स्टेट पावर ट्रान्समिशन कम्पनी लि०

आम सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि 132 के0वी0 डबल सर्किट छपरा (नया), अमनौर–वैशाली संचरण लाइन को **दिनांक–16.09.2022** को या उसके पश्चात् ऊर्जान्वित होना है। उक्त संचरण लाइन वैशाली जिला के रामचक, भलुई, गवंदरी, बंसडिह, चैनपुर, राजुपुर, परसा, झावापट्टी, हिंगवा, मुरली सिरिसिया, बक्री सिरिसिया, भीमा बॉध चक सालेह, गंगोल, कुआरी बी, चन्दपुरा, बिसुनपुरा, बभनगवार, मुजौना, मरहेट, शिदिरपुर, लटकहिया, चकिया, सालेमपुर, हसनपुर, भगवानपुर, जोराहा, केशोपुर, मैनपुरा, वैशाली आदि ग्रामीण क्षेत्रों से गुजरती है।

अतः सर्वसाधरण को सूचित किया जाता है कि उक्त संचरण लाईन से यथेष्ट दूरी बनाए रखें। किसी प्रकार की असावधानी के कारण होने वाले दुर्घटना/जान–माल की क्षति की जबावदेही बिहार स्टेट पावर ट्रान्समिशन कम्पनी लि0 की नहीं होगी।

मुख्य अभियंता (परियोजना–I)

PR- 8142 (Ni Ni) 2022-23

नशे से बनानी दूरी है, क्योंकि परिवार जरूरी है।

बिहार सरकार

समाहरणाल, सिवान
(जिला शस्त्र शाखा)
–: प्रेस विज्ञप्ति :–

आसन्न नगरपालिका आम चुनाव–2022 के मद्देनजर सिवान जिला के शस्त्र अनुज्ञप्तियों पर धारित आग्नेयास्त्रों के भौतिक सत्यापन हेतु दिनांक–25.09.2022 से 27.09.2022 तक की तिथि निर्धारित करते हुए नीचे अंकित पदाधिकारियों को उनके नाम के सामने अंकित थाना में प्रतिनियुक्त किया जाता है। प्रतिनियुक्त दण्डाधिकारी एवं थानाध्यक्ष प्रतिदिन 10:00 बजे पूर्वाह्न से 04:00 बजे अपराह्न तक अपने थाना क्षेत्र के अनुज्ञप्तिधारियों के आग्नेयास्त्रों का भौतिक सत्यापन करेंगे। सिवान जिला के निम्नलिखित थाना से संबंधित शस्त्र अनुज्ञप्तिधारियों को निदेश दिया जाता है कि वे निर्धारित तिथियों में किसी दिन थाना पर पहुंचकर अपने आग्नेयास्त्र का निश्चित रूप से भौतिक सत्यापन करा लें। इसमें विफल रहने वाले अनुज्ञप्तिधारियों पर आयुध अधिनियम 1959 एवं आयुध नियम 2016 के तहत अनुज्ञप्ति निलंबित/रद्द कर दी जायेगी, जिसके लिए वे स्वयं जिम्मेवार होंगे:–

क्र0	प्रतिनियुक्त दण्डाधिकारी का पदनाम	संबंधित थाना का नाम
1	प्रखंड विकास पदाधिकारी, सिवान सदर	सिवान नगर थाना
2	अंचल अधिकारी, सिवान सदर	मुफसिल थाना
3	अंचल अधिकारी, रघुनाथपुर	आन्दर
4	प्रखंड विकास पदाधिकारी, रघुनाथपुर	हुसैनगंज
5	अंचल अधिकारी, भगवानपुर हाट	बसंतपुर
6	अंचल अधिकारी, सिसवन	एम0एच0 नगर
7	अंचल अधिकारी, गोरेयाकोठी	महाराजगंज
8	अंचल अधिकारी, जीरादेई	मैरवा
9	अंचल अधिकारी, पचरूखी	बड़हरिया
10	अंचल अधिकारी, दरौली	गुठनी

संबंधित थानाध्यक्ष अपने थाना के शस्त्र पंजी का जिला शस्त्र शाखा की पंजी से मिलान कर निरीक्षण के पूर्व अद्यतन करा लेंगे। सभी प्रतिनियुक्त दण्डाधिकारी भौतिक सत्यापन से संबंधित पंजी संधारित करेंगे एवं अनुपालन प्रतिवेदन तिथिवार तैयार कर दिनांक–27.09.2022 तक अद्योहस्ताक्षरी को उपलब्ध करायेंगे। साथ ही साथ जिन अनुज्ञप्तिधारियों द्वारा अपने शस्त्र का भौतिक सत्यापन नहीं कराया गया है, उनकी सूची भी उपलब्ध करायेंगे।

विस्तृत जानकारी वेबसाईट **State.bihar.gov.in/prdbihar** पर देखी जा सकती है।

जिला दण्डाधिकारी,
सिवान।

PR. No.8089 (District) 2022-23

नशे से बनानी दूरी है, क्योंकि परिवार जरूरी है।

बिहार सरकार

न्यायालय :– अनुमंडल पदाधिकारी, नवादा सदर
बिहार मद्य निषेध अधिनियम 2016 के अंतर्गत जप्त वाहनो के मालिकों के लिए नोटिस

एतद् द्वारा निम्नलिखित वाहनों के मालिकों को सूचित किया जाता है कि बिहार मद्य निषेध एवं उत्पाद अधिनियम, 2016 एवं संशोधित 2018 के अंतर्गत उत्पाद विभाग द्वारा अवैध शराब के परिवहन के आरोप में आप के वाहन को जब्त कर अधिहरण हेतु समर्पित प्रस्ताव के आलोक में अधोहस्ताक्षरी के न्यायालय में अधिहरण वाद संधारित है, जिसकी सूची निम्न प्रकार है :–

क्र0 सं0	वाद सं0	थाना का नाम	थाना कांड सं0 एवं तिथि	जब्त वाहन का निबंधन सं0 चेसिस नं0 ईंजन नं0 एवं वाहन का प्रकार	वाहन मालिक का नाम एवं पता	संबंधित न्यायालय का नाम
1	2	3	4	5	6	7
1	69 (EX) 22	कौआकोल	324/22 04.03.22	WB-40L-5140, 06F08M47100, 06F09C53474 MOTORCYCLE	शंकर यादव, पिता–स्व रामजी यादव, ग्रा0–DVC मोड0 नजरूल पाल, जिला–पश्चिम बंगाल।	अनुमंडल पदाधिकारी नवादा सदर का न्यायालय
2	70 (EX) 22	कौआकोल	292/22 02.06.22	DL-9SBZ-3309, JF91ED0052102, ME4JF913HLD052847 SCOOTY	अनिल सिंह, पिता–राजेन्द्र सिंह, AT- जनकपुरी नई दिल्ली 11058।	
3	71 (EX) 22/	कौआकोल	396/22 14.07.22	JH01Z4941, D13A1214851, MA3FKEB2S00170166 FOUR WHLLER	शशिभूषण कान्त, पिता–विद्यानंद सिंह, ग्राम–सोहजाना, पो0–मकदुमपुर, जिला–जहानाबाद।	
4	72 (EX) 22	कौआकोल	26/22 23.01.22	BR01EH7445, CE4DK2713571, MD634CE40K2D14006 MOTORCYCLE	विष्णुदयाल राय, पिता–देवनंदन राय, ग्राम–अकलुचक, जमसौत, जिला–पटना।	
5	73 (EX) 22	कौआकोल	192/22 04.04.2021	BR27Q8670, JF17ELMGD00357 MDLJFW248MGD01265 MOTORCYCLE	प्रदीप चौधरी, पिता–नथुनी चौधरी, ग्राम–कोल्हुआर, थाना–कौआकोल, जिला–नवादा।	
6	74 (EX) 22	हिसुआ	686/21 04.12.2021	BR2K8412, BR2K8412 A9K0284092, A1LE2FHS95L32608 TEMPO	किशुन साव, पिता–लटन साव, ग्राम–पुरानी बथान गुरपा, पो0–फतेहपुर, जिला–गया।	

एतद् द्वारा उपर्युक्त वर्णित अधिहरण वादों में संबंधित वाहन मालिक को इस अधिनियम प्रावधानिक धाराओं के तहत नोटिस निर्गत किया गया था परन्तु इन वाहनों के लिए किसी के द्वारा दावा प्रस्तुत नहीं किया जा रहा है। अथवा उपस्थित होने के वावजूद जबाब दाखिल नहीं किया जा रहा है। ऐसे में अधिहरण में अग्रेतर कार्रवाई करने में अनावश्यक बिलंब हो रहा है।

उल्लेखनीय है कि बिहार मद्य निषेध और उत्पाद संशोधन नियमावली, 2022 के नियम 12(क) के आलोक में शास्ति के भुगतान पर वाहनों को छोड़ने का प्रावधान है। अर्थात् अधोहस्ताक्षरी के समक्ष सूचना प्रकाशन के 15 दिनों के अंदर शास्ति जमा कर जब्त वाहन को छुड़वाया जा सकता है।

अतः आप अथवा वाद से संबंधित कोई अन्य व्यक्ति जिनका कोई हित निहित हो वे सूचना प्रकाशन की तिथि से 15 दिनों के अंदर शास्ति जमा कर जब्त वाहन को छुड़वा सकते हैं अथवा आपके अनुपस्थिति में एकपक्षीय सुनवाई करते हुए आदेश पारित कर दिया जाएगा।

अनुमंडल पदाधिकारी
नवादा सदर

PR- 007975 (District) 2022-23

नशे से बचने का है एक ही उपचार, दृढ़ संकल्प और परिवार से प्यार।

बिहार सरकार

सूचना

दिनांक–15 सितम्बर, 2022 को पूर्वाह्न 9:45 बजे **स्व० डॉ० मोक्षगुण्डम् विश्वेश्वरैया** के जन्म दिवस के अवसर पर **विश्वेश्वरैया भवन परिसर**, पटना में आयोजित राजकीय समारोह में **श्री अशोक चौधरी**, माननीय मंत्री, भवन निर्माण विभाग, बिहार एवं अन्य गणमान्य व्यक्तियों द्वारा उनके प्रतिमा पर माल्यार्पण किया जायेगा।

इस अवसर पर आप सभी सादर आमंत्रित हैं

नोट :– उपर्युक्त समारोह के दौरान समारोह स्थल के आस–पास यातायात पर अतिरिक्त दबाव होने की संभावना है। अतः आम नागरिकों से अपील है कि उक्त अवधि में वैकल्पिक मार्ग चयन करने की कृपा की जाय।

निवेदक,

जिलाधिकारी, पटना।

आयुक्त, पटना प्रमण्डल, पटना।

अपर मुख्य सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग, बिहार, पटना।

PR- 8093 (District) 2022-23

बिहार विद्यालय परीक्षा समिति, पटना

सिमुलतला आवासीय विद्यालय, सिमुलतला, जमुई के कक्षा– XI (सत्र 2022–24) में नामांकन हेतु प्रवेश परीक्षा, 2022 में सम्मिलित होने वाले छात्र/छात्रा/अभिभावक के लिए आवश्यक सूचना

बिहार सरकार द्वारा संस्थापित सिमुलतला आवासीय विद्यालय, सिमुलतला, जमुई के कक्षा– XI (सत्र 2022–24) में नामांकन हेतु योग्य अभ्यर्थियों/अभिभावकों, सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी को सूचित किया जाता है कि सिमुलतला आवासीय विद्यालय प्रवेश परीक्षा, 2022 का परीक्षा आवेदन पत्र सिर्फ ऑनलाईन (online) माध्यम से आमंत्रित किए जाते हैं, जिसका विस्तृत विवरण निम्नवत् है –

रिक्ति का विवरण:–शिक्षा विभागीय पत्रांक-10/सिमु0/07/2022–1124 दिनांक **10.09.2022** के माध्यम से संकायवार एवं आरक्षण कोटिवार कुल अनुमोदित सीट संख्या एवं प्राचार्य, सिमुलतला आवासीय विद्यालय, सिमुलतला, जमुई द्वारा संसूचित वर्तमान में संकायवार/कोटिवार अध्ययनरत छात्र/छात्राओं की संख्या के आधार पर सम्प्रति उपलब्ध संकायवार व कोटिवार रिक्तियों का विवरण निम्नवत है–

कोटि	छात्र				छात्रा			
	विज्ञान	कला	वाणिज्य	कुल	विज्ञान	कला	वाणिज्य	कुल
अनारक्षित (UR)	01	06	07	14	05	08	07	20
अनुसूचित जाति (SC)	04	03	03	10	00	03	03	06
अनुसूचित जनजाति (ST)	00	00	00	00	00	01	00	01
अत्यंत पिछड़ा वर्ग (EBC)	03	04	04	11	00	04	04	08
पिछड़ा वर्ग (BC)	01	02	03	06	00	02	02	04
पिछड़े वर्ग की महिला BC(Female)	00	00	00	00	01	00	01	02
आर्थिक रूप से कमजोर (EWS)	02	02	02	06	02	02	02	06
कुल	11	17	19	47	08	20	19	47

2. **दिव्यांग कोटि (Differently Abled)**–सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार सरकार, पटना के द्वारा समय–समय पर निर्गत निदेश के आलोक में दिव्यांग कोटि के अभ्यर्थियों को 5% क्षैतिज आरक्षण का लाभ देय है। चयनित छात्र/छात्राओं का विकलांगता का स्तर 40 प्रतिशत से कम नहीं होना चाहिए।
3. आवेदक की आयु 1 अप्रैल 2022 को न्यूनतम 15 वर्ष तथा अधिकतम 17 वर्ष होनी चाहिए।
4. आवेदक बिहार राज्य का निवासी होना चाहिए। साथ ही, आवेदक को बिहार में अवस्थित सक्षम प्राधिकार से मान्यता प्राप्त माध्यमिक विद्यालय से कक्षा 10 वीं की परीक्षा उतीर्ण होना चाहिए।
5. परीक्षा आवेदन पत्र सिर्फ ऑनलाईन माध्यम से प्राप्त किये जायेंगे। किसी भी परिस्थिति में ऑनलाईन माध्यम को छोड़कर अन्य माध्यम से आवेदन स्वीकार्य नहीं किये जायेंगे।
6. **ऑनलाईन परीक्षा आवेदन पत्र एवं परीक्षा शुल्क दिनांक 15.09.2022 से 26.09.2022 तक स्वीकार किये जायेंगे।**
7. **परीक्षा शुल्क** : (1) अनारक्षित/आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग/अत्यंत पिछड़ा वर्ग एवं पिछड़ा वर्ग के लिए –960/– (नौ सौ साठ) रू0।
   (2) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति एवं दिव्यांग के लिए 760/– (सात सौ साठ) रू0।
8. **ऑनलाईन आवेदन करने की विधि**–छात्र/छात्रा/अभिभावक समिति की वेबसाईट **http://secondary.biharboardonline.com** पर Apply for Simultala Awasiya Vidyalaya Entrance Examination, 2022 लिंक पर क्लिक करने के पश्चात् जिला का नाम, प्रखण्ड का नाम, मोबाईल नम्बर अंकित करने के पश्चात् परीक्षा आवेदन पत्र खुलेगा। इस पेज पर अभ्यर्थी अथवा उनके अभिभावक अभ्यर्थी का विवरण (नाम, पिता नाम, जन्मतिथि, जाति कोटि इत्यादि) शुद्ध–शुद्ध भरेंगे। किसी भी त्रुटिपूर्ण विवरण अपलोड करने के लिए अभ्यर्थी अथवा उनके अभिभावक स्वयं दोषी होंगे तथा उनका आवेदन–पत्र रद्द कर दिया जाएगा। भरे गये परीक्षा आवेदन पत्र की हार्ड कॉपी अभ्यर्थी/उनके अभिभावक निकालकर उस पर अपने विद्यालय के प्रधानाचार्य से अग्रसारित कराकर सुरक्षित रख लेंगे। अभ्यर्थी नामांकन हेतु चयन होने पर अग्रसारित आवेदन पत्र को संबंधित जिला के जिला शिक्षा पदाधिकारी से अग्रसारित करा कर नामांकन के समय प्राचार्य, सिमुलतला आवासीय विद्यालय, सिमुलतला को अनिवार्य रूप से समर्पित करेंगे। अन्यथा नामांकन बाधित हो सकता है।
9. परीक्षा आवेदन–पत्र समिति की वेबसाईट पर भरने एवं परीक्षा शुल्क के भुगतान करने की विधि क्रमवार निम्नवत् है :–

1. Visit http://secondary.biharboardonline.com, 2. Home Page, 3. Student Registration Page/Student Login Page, 4. Fill Application Form, 5. Upload Photo & Signature, 6. View & Edit Application Form 7. Make Payment and 8. Print Application

9.1 **छात्र/छात्रा के रंगीन फोटो एवं हस्ताक्षर स्कैन करने के संबंध में**–
सिमुलतला आवासीय विद्यालय, सिमुलतला प्रवेश परीक्षा के आवेदन पत्र में रंगीन फोटो एवं हस्ताक्षर निम्नवत् रहना अनिवार्य है :–

A. रंगीन फोटो का साईज एवं प्रकार :
Image Size : 35mm × 30mm का हो। (50–100 KB के बीच jpg/jpeg फॉरमेट में हो।
Head Size/Face Size : 25 mm × 20 mm (approx 60% 70%)
Background : Plain White or Light Green

B. स्कैन किया हस्ताक्षर का नमूना (jpg/jpeg) फॉरमेट (3.5cm width × 1.5 cm height) में हो तथा आकार 10–20 KB से अधिक न हो।

9.2 **प्रमाण पत्रों को अपलोड करना –**
a) मैट्रिक (10th) का प्रमाण पत्र एवं अंक पत्र (जन्म तिथि के लिए)।
b) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति के उम्मीदवारों के लिए जाति प्रमाण पत्र।
c) अत्यंत पिछड़ा वर्ग/ पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों के लिए क्रीमिलेयर रहित अद्यतन प्रमाण पत्र (आरक्षण का दावा करनेवाली विवाहित महिलाओं की जाति/अद्यतन क्रीमिलेयर रहित प्रमाण पत्र उनके पिता के नाम एवं पता से निर्गत होना चाहिए न कि उनके पति के नाम से)
d) दिव्यांगता का दावा करने की स्थिति में विहित प्रपत्र में सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत तत्संबंधी प्रमाण पत्र।
e) आर्थिक रूप से कमजोर सामान्य कोटि (EWS) के आवेदक के लिए बिहार सरकार के अधिसूचना संख्या 2622 दिनांक 26.02.2019 के आलोक में सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत प्रमाण–पत्र।

9.3 **परीक्षा शुल्क भुगतान की प्रक्रिया** : ऑनलाईन आवेदन–पत्र submit करने के पश्चात Fee Payment के लिए पेज पर उपलब्ध Fee Payment Button पर क्लिक करें। परीक्षा के लिए निर्धारित शुल्क की राशि Debit Card/Credit Card/Net Banking के माध्यम से भुगतान किया जाय। अभ्यर्थी/उनके अभिभावक भुगतान के पश्चात् 24 घंटे के अन्दर अपने बैंक खाता से राशि की निकासी हुई है या नहीं, इसकी जाँच कर स्वयं संतुष्ट हो लेंगे। खाता से राशि की निकासी के पश्चात् समिति के खाता में परीक्षा शुल्क जमा नहीं होने की स्थिति में संबंधित आवेदन अपूर्ण मानते हुए स्वीकार नहीं किया जाएगा।

9.4 ऑनलाईन परीक्षा आवेदन पत्र समिति की वेबसाईट पर भरने के पश्चात् अभ्यर्थी के मोबाईल पर पासवर्ड भेजा जायेगा और अभ्यर्थी का मोबाईल नम्बर यूजर आई०डी० होगा। यूजर आई0डी0 एवं पासवर्ड को अभ्यर्थी/अभिभावक भविष्य के लिए सुरक्षित रख लेंगे एवं इसकी गोपनीयता बनाए रखे। **इस यूजर आई०डी० एवं पासवर्ड को समिति कार्यालय में कदापि न भेजे। इस यूजर आई०डी० एवं पासवर्ड के माध्यम से अभ्यर्थी अथवा उनके अभिभावक ऑनलाईन परीक्षा आवेदन पत्र में किसी भी प्रकार के त्रुटिपूर्ण विवरण ऑनलाईन परीक्षा आवेदन पत्र भरने की तिथि तक समिति की उक्त वेबसाईट http://secondary.biharboardonline.com पर जाकर सुधार कर सकेंगे।**

10. **प्रवेश परीक्षा**: पूर्णतः वस्तुनिष्ठ (Objective) प्रश्नों पर आधारित होगी। परीक्षा ऑनलाईन विधि से ली जायेगी, जिसके प्रश्नों की संख्या 120 होगी। प्रत्येक प्रश्न के लिए एक अंक प्रदान किये जायेंगे। यह परीक्षा 2 घंटे 15 मिनट की होगी। इसमें 15 मिनट का समय "Cool off" समय होगा तथा अभ्यर्थियों को प्रश्नोत्तर हेतु 2 घंटे का समय उपलब्ध होगा।

प्रवेश परीक्षा विषय का विवरण निम्नवत् है, जिसका पाठ्यक्रम का स्तर दसवीं आधारित होगा

प्रवेश परीक्षा	
विषय	अंक
गणित	30
विज्ञान	30
अंग्रेजी	30
बौद्धिक क्षमता	30
कुल अंक	120

11. प्रवेश परीक्षा के परिणाम के आधार पर तैयार कोटिवार मेधासूची से कोटिवार छात्र/छात्रा वार रिक्तियों की संख्या के 05 (पॉच) गुणकों में कोटिवार अभ्यर्थियों का चयन किया जायेगा।
उक्त के पश्चात् विद्यालय द्वारा काउंसेलिंग (counselling) के माध्यम से मेधाक्रम, आरक्षण कोटि एवं रिक्ति के आधार पर नामांकन की कार्रवाई की जायेगी।
12. **नार्मलाइजेशन (Normalization)**
अभ्यर्थियों की संख्या अधिक होने की स्थिति में प्रवेश परीक्षा एक से अधिक पालियों (Sittings)/तिथियों (Dated) में आयोजित की जा सकती है। वैसी स्थिति में अलग–अलग पालियों में अलग–अलग प्रश्न पत्रों के अलग–अलग कठिनाई स्तर होने के कारण परीक्षाफल तैयार करने के क्रम में Normalization की विधि का प्रयोग किया जा सकता है, ताकि किसी भी विशेष पाली के किसी भी अभ्यर्थी को कोई खास लाभ या हानि नहीं हो।
13. प्रवेश परीक्षा में समान अंक वाले अभ्यर्थियों में से अधिक उम्र वाले अभ्यर्थियों को अधिमान देते हुए मेधा सूची में शामिल किया जाएगा। प्रवेश परीक्षा में समान प्राप्तांक एवं समान जन्मतिथि होने की स्थिति में वार्षिक माध्यमिक परीक्षा में अधिक प्राप्तांक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों का चयन किया जाएगा। प्रवेश परीक्षा, माध्यमिक परीक्षा के प्राप्तांक समान होने एवं जन्मतिथि समान होने की स्थिति में लॉटरी (Lottery) के माध्यम से अभ्यर्थियों का चयन किया जाएगा।
14. प्रवेश परीक्षा के परीक्षा परिणाम के आधार पर तैयार कोटिवार मेधा सूची से मेधा क्रम में छात्र/छात्राओं को नामांकन के पूर्व स्वास्थ्य परीक्षण हेतु चिकित्सा बोर्ड के समक्ष उपस्थित होना पड़ेगा, जिसमें सफल होने के उपरांत ही उन्हें प्रवेश की स्वीकृति दी जाएगी।
15. प्रवेश परीक्षा में सफल सभी अभ्यर्थियों को नामांकन के समय जाति प्रमाण–पत्र (आरक्षित कोटि के दावा करने वाले अभ्यर्थियों के लिए) आवासीय प्रमाण–पत्र, जन्मतिथि प्रमाण–पत्र, निःशक्तता प्रमाण–पत्र (निःशक्तता कोटि का दावा करने वाले अभ्यर्थियों के लिए) विद्यालय परित्याग प्रमाण–पत्र, बैंक खाता की छायाप्रति, माता–पिता के आय प्रमाण पत्र की मूल प्रति तथा छायाप्रति के साथ उपस्थित होना अनिवार्य होगा, अन्यथा नामांकन का दावा निरस्त कर दिया जाएगा।
16. उक्त परीक्षा से संबंधित किसी प्रकार के विवाद का मामला केवल उच्च न्यायालय, पटना के क्षेत्राधिकार में होगा।
17. इस परीक्षा से संबंधित किसी भी प्रकार की सूचना, सूचना के अधिकार अधिनियम–2005 के अंतर्गत परीक्षाफल प्रकाशन की तिथि से 30 दिनों तक ही प्राप्त किया जा सकेगा।
18. उक्त परीक्षा से संबंधित पृच्छा के लिए **हेल्पलाईन नम्बर–0612–2232074** पर सम्पर्क किया जा सकता है तथा किसी प्रकार की सूचना **E-mail ID - bsebsehelpdesk@gmail.com** पर भेजा जा सकता है।
19. **अन्तिम रूप से आवेदन पत्र जमा करने के उपरान्त आवेदन से संबंधित किसी प्रकार की त्रुटि में सुधार हेतु दावा मान्य नहीं होगा।**

परीक्षा नियंत्रक (विविध)

विज्ञप्ति संख्या–पी.आर. 164/2022